छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 626/2007</u>

श्री असीम राज लालजी,
हेम–विला, 07/1298, ओम नगर चौक,
जरहाभाठा, बिलासपुर,
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
तहसीलदार,
तहसील कार्यालय, मनेन्द्रगढ़,
जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 11 सितम्बर 2007)

अपीलार्थी श्री असीम राज लालजी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार, तहसील कार्यालय मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया के कार्यालय को आवेदन दिनांक 22–01–2007 प्रस्तुत कर अपने बच्चों के जाति प्रमाण–पत्र के प्रकरण के संबंध में 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। अपीलार्थी के अनुसार उन्हें जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी/एस.डी.एम. के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील पर कोई निर्णय नहीं दिये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब पर एवं अभिलेखों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपियाँ माँगी गई थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रतिलिपियाँ प्रदान न कर शिक्षा के लिये सफेद रंग का प्रमाण–पत्र जारी किया गया तथा दो विद्यार्थियों को उक्त प्रमाण–पत्र भी जारी नहीं किया गया। यह भी बतलाया गया कि जाति प्रमाण–पत्र आवेदक के मूल स्थान से ही प्राप्त होंगे। इस संबंध में पुष्टि भी चाही गई। अपीलार्थी का यह तर्क कि उसे भ्रामक जानकारी दी गई, तहसीलदार–जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर, कोरिया हैं, किन्तु अपीलार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की, कलेक्टर को नहीं की। यह भी बतलाया गया कि आवेदन–पत्र दिनांक 22–01–2007 को कल्पना लालजी के अस्थाई जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि की मांग की गई थी। आवेदक को सूचित किया गया कि उक्त प्रकरण सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरिया के द्वारा आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा गया है। तहसीलदार द्वारा जारी अस्थाई जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि नहीं दी

जा सकती। यह भी उल्लेखनीय है कि कल्पना लालजी के अस्थाई जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने जाति प्रमाण–पत्र के जाँच के संबंध में कमेटी गठित किये जाने के निर्देश दिये थे, जिसके परिपालन में आयुक्त, आदिवासी विकास को छानबीन समिति से परीक्षण कराने के लिये निवेदन किया गया। लवीना लालजी एवं हनी लालजी के जाति प्रमाण–पत्र के फोटोप्रति आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि लवीना लालजी की माता कल्पना लालजी की जाति प्रमाण–पत्र की शिकायत की जाँच आयुक्त, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास के द्वारा की जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार के द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया कि आवेदक को सम्पूर्ण जानकारी भेजी गई है। अतः आवेदक का यह तर्क कि उसे जानकारी भ्रामक दी गई सही नहीं है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 22–01–2007 के द्वारा जिन बिन्दुओं पर जानकारी माँगी थी, वह किसे प्रदान की गई है। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी अपने बच्चों की जाति प्रमाण–पत्र चाहता है। चूँकि जाति प्रमाण–पत्र के लिये सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग में जाँच लंबित हैं। तद्नुसार नायब तहसीलदार के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया। साथ ही जो जाति प्रमाण–पत्र कार्यालय में उपलब्ध थे, उनकी प्रमाणित छाया प्रति अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी को कौन–सी जानकारी भ्रामक दी गई। उसने अपने अपील आवेदन में यह आरोप लगाया है कि हनी लालजी एवं लवीना लालजी जाति प्रमाण–पत्र में अनावश्यक टीप लगाई गई। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार के द्वारा वास्तविक स्थिति जाति प्रमाण–पत्र में अंकित की गई, जिसके अनुसार प्रकरण जाँच हेतु लंबित बतलाया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी को भ्रामक अथवा अपूर्ण जानकारी दी गई। अपीलार्थी को आयुक्त, आदिवासी विकास को जाँच हेतु भेजे गये प्रकरणों की जानकारी भी दी गई। ऐसे प्रकरणों की प्रतिलिपि तहसीलदार के द्वारा दी जाना संभव नहीं थी, क्योंकि प्रकरण आयुक्त आदिवासी विकास विभाग में हैं।

3/ अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित स्पष्ट एवं तथ्यात्मक जानकारी अभिलेखों के आधार पर नियत दिनांक 14–02–2007 को दी गई। अपीलार्थी की अपील में ऐसे कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि जन सूचना अधिकारी, तहसीलदार के द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त